भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3238

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीय मिशन की भूमिका

3238. श्री देवेश शाक्य:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से एटा जिले के जलेसर के प्रसिद्ध पीतल उद्योग तथा कासगंज के स्थानीय कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से कोई पहल कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत इन जिलों के ग्रामीण शिल्पकारों और युवा निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए कोई विशेष राजनयिक या तकनीकी सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिलों के बासमती चावल और तिलहन की खाड़ी देशों और यूरोप में बढ़ती मांग को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्यात के संवर्धन के लिए विदेशी व्यापारिक शिष्टमंडलों के दौरों के आयोजन का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन जिलों के ग्रामीण युवाओं को विदेश में सुरक्षित रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क से घ) विदेशों में स्थित भारतीय मिशन और केंद्र कृषि उत्पादों सहित भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संवर्धन और वाणिज्यिक पहुंच संबंधी गतिविधियों को संपन्न करते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता–विक्रेता बैठकों, स्थानीय वाणिज्य मंडलों, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापारिक जुड़ाव में भारतीय निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) की भागीदारी शामिल है। वे भारतीय निर्यातकों की व्यापार संबंधी

पूछताछ का समाधान भी करते हैं, साथ ही व्यापार के अवसरों, निविदाओं और नियामक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रसारित करते हैं।

इस संबंध में, विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित इसके मिशन/ केंद्र व्यापार संवर्धन गतिविधियों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत, व्यापार मेलों और क्रेता–विक्रेता बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) कार्यक्रम के तहत उत्पादों को विभिन्न पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका मुख्य लाभ ग्रामीण कारीगरों और एमएसएमई को मिल रहा है।

मंत्रालय, द्विपक्षीय श्रम और आवाजाही व्यवस्थाओं, क्षमता निर्माण गतिविधियों, कोंसली सहायता और अन्य कल्याणकारी उपायों के माध्यम से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और वैध विदेशी आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है; जो सभी पात्र भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
